

आदेश ब इजलास राजन विद्याल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 212/2022 (धारा 14 सेक्युरिटीआईजेसन)

आवास फाईनान्सियर्स लि. (पूर्व नाम एचू हाउसिंग फाईनेन्स लि.) पंजीकृत कार्यालय 201-202 प्लॉट संख्या एमड स्वयंवर, नानसरोवर इन्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री सुरेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री कैलाश चन्द्र सैनी,
पता :- नई कोठी, उपलाबाड, वार्ड नम्बर 6, शाहपुरा, जयपुर।
एवं प्लेट नं. 107, ब्लॉक-सी ईडब्ल्यूएस, सी.एम. आवास योजना, गिन्नी होम्स, वार्ड नम्बर 3, शाहपुरा, जयपुर।
2. श्रीमती बबीता सैनी पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार सैनी,
पता :- नई कोठी, उपलाबाड, वार्ड नम्बर 6, शाहपुरा, जयपुर।
3. श्री कैलाश सैनी पुत्र श्री बट्टो प्रसाद,
पता :- 24/7, गौरिया वाली बागी, वार्ड नम्बर 6, शाहपुरा, जयपुर।

अप्रार्थी/गण
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :-

1. श्री चन्द्र शेखर बेनीवाल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक: 30.05.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 21.03.2018 को पुर्नभुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार सैनी के स्वामित्व की प्लेट नं. 107, ब्लॉक-सी ईडब्ल्यूएस, सी.एम. आवास योजना, गिन्नी होम्स, वार्ड नम्बर 3, शाहपुरा, जयपुर राजस्थान, क्षेत्रफल 350 वर्गफीट को बन्धक रख कर राशि 05,90,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 22.01.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सन्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इनदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।


जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 17 जून 2021 से सरफेरी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, पुष्टि में वित्तीय संस्था के वित्तीय विवरण की प्रति प्रस्तुत की है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 05,90,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए धोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 8,46,036/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 22.01.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
6. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार सेनी के स्वामित्व की फ्लेट नं. 107, ब्लॉक-सी ईडब्ल्यूएस, सी.एम. आवास योजना, गिन्नी होम्स, वार्ड नम्बर 3, शाहपुरा, जयपुर राजस्थान, क्षेत्रफल 350 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।



आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दारिखत दफ्तर हो।

8. आदेश आज दिनांक 30.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।


(राजेश विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर